

**The Manager,  
DR SONEY LAL PATEL PUBLIC SCHOOL JUHI KANPUR UP  
133/61 HAMEERPUR ROAD, JUHI  
UTTAR PRADESH, KANPUR, 208014  
(M: 91-7860026060)**

**SUBJECT: -Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level.**

This is with reference to school application on the subject cited above. In this connection, I am directed to convey the approval of the Board for Extension of General Affiliation as per details given below:-

<b>Affiliation No used as User ID for both OASIS and LOC/Registration System</b>	<b>2130281</b>
<b>School No</b>	<b>70740</b>
<b>Affiliated for</b>	<b>Extension of General Affiliation</b>
<b>Category</b>	<b>Extension of Affiliation</b>
<b>Period of affiliation</b>	<b>01.04.2023 to 31.03.2028</b>

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

1. The approval is based upon the documents /data/information uploaded by the school online. The school will be responsible for its genuineness. In case of any discrepancies, necessary action will be initiated against the school as per Affiliation Bye -Laws-2018.
2. The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned.
3. The School is required to apply on online for extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws.
4. The school should go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and subsequent amendment therein as well as circulars and guidelines /instructions issued by the Board time to time and keep a copy here of for reference purpose and is also advised to regularly visit CBSE websites i.e., <http://cbseacademic.nic.in/> & <http://cbse.nic.in/> for updates.
5. The school to renew mandatory certificates from time to time.
6. The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity /activity related to running of school affiliated to CBSE. All legal expenses incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances, shall be borne by the school.

**"The school shall possess valid fire safety certificate and Building safety certificate during functioning of the school which shall be renewed from time to time as per norms".**

**DEPUTY SECRETARY/JOINT SECRETARY (AFF.)**

**ENROLMENT TABLE**

<b>SN</b>	<b>Location of School</b>	<b>Campus area</b>	<b>Affiliation Allowed</b>	<b>Optimum No. of Sections (From classes I/VI to X/XII)</b>



A	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	1600 sqm	Up to Class-X only	10
B	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	2400 sqm	Up to Class-XII	24
C	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	3200 sqm	Up to Class-XII	28
D	Class-X Cities (Clauses 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7	2000 sqm	Up to Class-X only	10
E	Class-X Cities (Clauses 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7	3000 sqm	Up to Class-XII	24
F	Class-X Cities (Clause 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7 and Areas/Cities mentioned in clause 3.4	4000 sqm	Up to Class-XII	28
G	Pan India (Clause 3.3)	6000 sqm	Up to Class-XII	38
H	Pan India (Clause 3.2)	8000 sqm	Up to Class-XII	48
I	Pan India (Clause 3.2)	>8000 sqm	<b>Up to Class-XII</b> The number of sections shall be restricted in accordance with 'H' above with land requirement unit scaled down to 2000 square meters i.e. 12 sections for every 2000 square meter additional land.	
• The total number of sections taken together for classes XI and XII should not be more than 1/3 of optimum number of section allowed on the basis of land holding for any school.				
• The number of sections and students shall be restricted as per the actual facilities in the school.				
• For class rooms of size less than 500 sq feet the enrolment shall be 0.08 X size of class rooms in sq feet				

**Important Notes : NA**

School is required to appoint wellness teacher as per affiliation bye laws.

*This is an electronically generated document. It does not need any signature.  
 To verify the authenticity of the document, please visit  
 (<http://www.saras.cbse.gov.in/saras/AffiliatedList/ListOfSchdirReport>).*

Print



संख्या 01911/2024-2025

प्रारूप-9  
नियम 8(2) देखिये

दिनांक 16/01/2025



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र  
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/KAP/14384/2024-2025

पत्रावली संख्या: K-18250

दिनांक: 1994-1995

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि Dr SoneyLal Patel Shiksha Sansthan, 133/O/61 Juhi Hamirpur Road, Kanpur Nagar, कानपुर नगर, 208014 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 938/1994-1995 दिनांक-17/12/1994 को दिनांक-17/12/2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By  
(PARAS NATH GUPTA)  
1756590BD7AF2ED7D7389DB73D59BF9E554FB597

Date: 16/01/2025 2:09:02 PM, Location: Kanpur.

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश।

जारी करने का दिनांक-16/01/2025

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य है। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असंबद्ध व्यक्तिके किसी दावे, अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।



2025 04 09 09:50







- 7- राज्य सरकार द्वारा सचिवालय पर जो भी आदेश निर्देश दिए जायेंगे, तैयार करना पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय का रिपोर्ट निर्धारित रूप/रीति में तैयार करेगी ।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि शीका द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि -

- 111 विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के कुल वेतन/संवर्धन का 10% भाग के भीतर लागू करे शासन की आज्ञा कराया जायेगा ।
- 112 विद्यालय के वर्तमान उपस्थित अतिरिक्त शिक्षकों के अभाव में एक एक अतिरिक्त शिक्षक को व्यवस्था आगामी 1996-97 के भीतर करके तैयार द्वारा शासन की आज्ञा कराया जायेगा ।
- 113 शीकापटी के वास्तव में उत्तीर्णित प्रतिबन्धों के नये विन्दु में "शिक्षा निदेशक की पूर्वानुमति" के स्थान पर "शासन की पूर्वानुमति" का उल्लेख करते हुए शीकापटी निदेशिकाओं में शासन की ओर से आज्ञा कराया जायेगी ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह प्राय्य जाता है कि शीका द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है उपयुक्त पालन करने में तत्काल प्रहार की सूचना भिजित करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुपस्थित प्रमाण पत्र-आपस में किया जायेगा

अधीक मांजूरी  
सचिवालय

Form 142511/15-7-1996 तारीख 10/11/96

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुव्यवस्थापूर्वक कार्यवाही के लिये भेजा है :-

- 1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- राष्ट्रीय संचालन शिक्षा निदेशक आगरा ।
- 3- शिक्षा विभाग निदेशक आगरा नगर ।
- 4- निरीक्षक आगत भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रमुख, ITO तोकनाम पतेन परिसर स्थल 13310/6। इन्डोस्ट्री रोड पूरबी कानपुर



अधीक मांजूरी  
सचिवालय





Office of the District Basic Education Officer  
KANPUR NAGAR

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that DR SONEY LAL PATEL PUBLIC SCHOOL, 133 O 61 JUHI HAMIRPUR ROAD KANPUR is permanently recognized for Primary(class 1 to 5). The Recognition number allotted to DR SONEY LAL PATEL PUBLIC SCHOOL is KAN0934008568. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

15-10-2024(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4. School Type

Pre-Primary School and Primary School

5. Recognition No.

KAN0934008568

DATE:- 15-10-2024

PLACE:- KANPUR NAGAR

District Basic Education Officer

Digitally signed by K. B. TIWARI, R. SINGH  
Date: 2024.10.15 20:21:06  
Reason: For Digital Signature  
Location: KANPUR NAGAR

Signature valid



Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal [www.prnaup.in](http://www.prnaup.in)





Office of the District Basic Education Officer  
KANPUR NAGAR

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that DR SONEY LAL PATEL PUBLIC SCHOOL, 133 O 61 JUHI HAMIRPUR ROAD KANPUR is permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number allotted to DR SONEY LAL PATEL PUBLIC SCHOOL is 70740.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE 22-11-2024(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type Old

4.School Type Upper Primary School(6 to 8)

5.Recognition No. 70740

DATE:- 22-11-2024

PLACE:- KANPUR NAGAR

District Basic Education Officer  
**Signature valid**  
Digitally signed by G. T. KUMAR SHI  
Date: 2024.11.22 12:21:23  
Reason: For Digital Signature  
Location: KANPUR NAGAR



Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal [www.prnaup.in](http://www.prnaup.in)






कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड भवन लो०नि०वि०-  
कानपुर नगर


पत्रांक 667/95/22

दिनांक 21/05/22

प्रमाण पत्र

प्रबन्धक डा० सोनेलाल पटेल पब्लिक स्कूल, 133/ओ/61 जूही हमीरपुर रोड, कानपुर नगर के पत्रांक एस०एल०पी०एस०एस०/10291/2022-23 दिनांक 02.05.2022 के द्वारा विद्यालय भवन के सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र मांगा गया है तथा अवगत कराया गया है कि भवन पूर्व का निर्मित है। विद्यालय भवन का निर्माण आर्कीटेक्ट/इंजीनियर की देख-रेख में किया गया है। विद्यालय के भवन का निरीक्षण इस खण्ड में कार्यरत श्री जितेन्द्र पाल, अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 20.05.2022 को किया गया, विद्यालय भवन वाहय रूप से देखने पर सामान्यतः नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुसार सुरक्षित प्रतीत होता है।

  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड भवन, लो०नि०वि०,  
कानपुर नगर।





प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2024/107544/KPN/KANPUR NAGAR/2914/CF0

दिनांक : 07-02-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स DR SONEY LAL PATEL PUBLIC SCHOOL पता 133 OBLIQUE 61 HAMIRPUR ROAD JUHI, JUHI, KANPUR NAGAR तहसील -SADAR प्लॉट एरिया 4147 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 3107.63 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	ब्लैसमेन्ट की संख्या	ऊंचाई
DR SONEY LAL PATEL PUBLIC SCHOOL	3	0	10.05 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स DR SONEY LAL PATEL PUBLIC SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 29-02-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री PARULSINGH PATEL के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रमाणित भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 05-03-2024 से 05-03-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस सर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स DR SONEY LAL PATEL PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवाधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स DR SONEY LAL PATEL PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

यह प्रमाण-पत्र आग के द्वारा प्रयुक्त अधिभोगी, यजमानों के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र अमान्य नहीं होगा।

Note : The School is Constructed & Operational before 2005, The NOC is issued as per G.O. dated 07.01.2022 on (G+2) FLOOR as per the Physical Site Inspection & Verification with the Recommendations of FSSO K-8: 1.To Comply as per UP Fire & Emergency Services Act 2022 2.To Maintain All Fire System in Operational mode Always with DG Supply. 3.To Maintain all Stairs and Keep free Access to All Exits Always and Electrical Safety Audit is Mandatory for entire Premises. 4.To Submit Operational Certificate of Fire System on Half Yearly Basis. 5.The Issued NOC will be Cancelled Automatically in case of any deviation in above Conditions and for any False Information or FSSO Inspection Report.



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

DEEPAK SHARMA

0718C8D899E841A62E9C61C61AA329E0CEC704410

05-03-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 05-03-2024  
स्थान : KANPUR NAGAR

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service







नगर निगम कानपुर

पत्रांक :- 3718/D/NSA

दिनांक:- 12.02.24

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सफाई एवं खाद्य विभाग द्वारा दिनांक 10.02.2024 को डा0 सोने लाल पटेल पब्लिक स्कूल, जूही कानपुर नगर का निरीक्षण किया तथा पानी का सैम्पल लिया गया जिसमें पेयजल की गुणवत्ता पेय योग्य एवं विद्यालय में सेनेटरी एवं हाइजेनिक स्थितियां हैल्थ मैनुअल के अनुरूप सही पायी गयी है।

सफाई एवं खाद्य निरीक्षक

नगर निगम कानपुर

सफाई एवं खाद्य निरीक्षक

नगर निगम कानपुर

